

* 12 1900 July 12 प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

a. 20] No. 20] नर्ड विल्ली, शनिचार, मई 15, 1993/वैशाख 25, 1915

NEW DELHI, SATURDAY, MAY 15, 1993/VAISAKHA 25, 1915

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती ही जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

> भाग II--खण्ड 3--उप-खण्ड (i) PART II-Section 3-Sub-section (i)

भारत सरकार को मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़ कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रज्ञासनों को छोड़ कर) द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किये गये साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आवेज, उपनियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws etc. of a general Character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय (विधि कार्य विभाग) नई दिल्ली, 27 ग्रप्रैल, 1993

सा.का.नि. 230 : --केंद्रीय सरकार, सिविल प्रित्रया संहिता, 1908 (1908 का 5) की पहली श्रनुसूची के आदेश 27 के नियम 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सिविल ग्रधिकारिता वाले किसी न्यायालय में केंद्रीय सरकार द्वारा या उसके विरुद्ध वादों में वादपत्नों और लिखित कथनों पर हस्ताक्षर करने और उनके सत्यापन से संबंधित भारत सरकार के विधि और न्याय मंत्रालय के विधि कार्य विभाग की ग्रधिसूचना सा.का.नि. र्स. 167, तारीख 14 फरवरी, 1990 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, ग्रथित् :--

उवत ग्रधिसूचना की ग्रनुसूची में "12. पर्यावरण और अन मंत्रालय" शीर्षक के नीचे, "भारतीय वन सर्वेक्षण,

देहरादुन" उपशीर्षक में प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, ग्रथित :--

भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादुन

- (i) निदेशक, भारतीय वन सर्वेक्षण,
- (ii) संयुक्त निदेशक, भारतीय वन सर्वेक्षण.
- (iii) संयुक्त निदेशक, केंद्रीय जोन, नागपुर,
- (iv) संयक्त निदेशक, उत्तरी जोन, शिमला,
- (v) संयुक्त निदेशक, पूर्वी जोन, कलकत्ता,
- (vi) संयुक्त निदेशक, दक्षिणी जोन, बंगलीर,
- (vii) उप-निदेशक, केंद्रीय जोन, नागपुर,
- (viii) उप-निदेशक, उत्तरी जोन, शिमला,
- (ix) उप निदेशक, दक्षिणी जोन, बंगलौर।

[फा.सं. 16(4)/91-न्यायिक] टी. ग्रार. सेत्रमण, ग्रापर विधि सलाहकार

(755)સત્યાાવત

सहायक नियनंक (वाणिज्य) भारत सरकार, प्रकाशन विभाग

995 GI/93-1

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्राक्ष्य

नई दिल्ली, 21 अप्रैल, 1993

सा.का. नि. 243. --राष्ट्रपति, संविधान के अनु च्छेच 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शिक्तवों का प्रयोग करते हुए, केंग्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सहायक डिपो प्रवंधक) भर्ती नियम, 1990 का-संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, ग्रयांत्ः--

- (1) इन नियमीं का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्यः योजना (सहायक डिपो प्रबंधक) भर्ती (संगोधन) नियम, 1993 है।
 - (2) ये राज्यत में प्रकाशन की तारीख की प्रवृत्त होंगे।
- केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सहायक डिपो प्रबंधक) भर्ती नियम, 1990 की अनुसूची में,
 - (1) स्तम्भ 2 के नीचे की प्रविद्धियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविध्धियां रखी जाएंगी, ग्रंथीत्:--

"2*(1993)--1 मुंबई में और 1 हैदराबाद में

व्यक्तिमं किया जा सकता है

- (3) स्तम्भ 12 में, "प्रतिनियुनित पर स्थानांतरण" मीर्वक के नीचे, मद (ii) की प्रविष्टियों के पश्चात्, "या" मृज्य अंत:स्यापित किया जाएगा।

 $[\dot{\mathrm{H}}. \dot{\mathrm{U}} - 12018 / 1 / 90 - \dot{\mathrm{H}} i \, \dot{\mathrm{H}} \, \dot{\mathrm{U}} = \dot{\mathrm{U}} \dot{\mathrm{H}} \, \dot{\mathrm{H}} \, \dot{\mathrm{H}} \, \dot{\mathrm{H}} \, \dot{\mathrm{U}} = \dot{\mathrm{U}} \dot{\mathrm{H}} \, \dot{\mathrm{U}}$ ब्रह्म देव, अवर सन्विय

पाद टिप्पण: मूल निथम, सा.का.नि. 215 तारीख 30-3-91 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE New Delhi, the 21st April, 1993

G.S.R. 243.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Central Government Health Scheme (Assistant Depot Manager) Recruitment Rules, 1990, namely:—

- (1) These rules may be called the Central Government Health Scheme (Assistant Depot Manager) Recruitment (Amendment) Rules, 1993.
 - (2) They shall come into fo ce on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the schedule to the Central Government Health Scheme (Assistant Depot Manager) Recruitment, Rules
 - (1) under Column 2, for the entries the following entries shall be substituted, namely :-

"2*(1993).—1 in Bombay, and 1 in Hyderabad.

*Subject to variation"

- (2) in Column 8, under the heading 'Essential', after the entries, Nôtes 1 and 2 and entries relating thereto shalf be inserted.
- (3) In Column 12, under the heading "Transfer on Deputation", at item (ii), after the entries, the word "or" shall be inserted.

[No. A-12018/1/90-CGHS-II/CGHS(P)]

BRAHAM DEV, Under Secy.

FOOT NOTE.—The Principal Rules were published vide G.S.R. 215 dated 30-3-9:

(स्वास्थ्य विमाग)

नई दिल्ली, 21 अप्रैल, 1993

सा.का.निः 244---राष्ट्रपति, संविधान के धनुष्ठिद 309 के परन्युक हारा प्रदत्त धनितयों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीमः मुंबई (सवार हरकारा) भर्ती नियमः 1986 का और संगोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, प्रयोग:---

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्यीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम, मम्बई (संवार हरकारा) भर्ती (संशोधन) नियंग, 1993 है।
- (2) ये राजपन्न में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे।
- केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम, मुंबई (संवार हरकारा) भंती नियम, 1986 की अनसूची में--
- स्तम्भ् 4 में, विद्यमान प्रविध्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविध्टि रखी जाएगी, ग्रर्थात्:--"950-20-1150-द:रो.-25-1400 रुपये";
- स्तम्भ 5 में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जगएगी, अर्थात्:- "चयन";
- स्तम्भ १ मं, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखिप प्रविष्टि रखी आएगी, अर्थात्ः ---"ग्रायु--नहीं क्कि ग्रहैता---हां";
- स्तम्भः 11 में, विद्यमान प्रविध्दि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविध्दि रखी जाएगी, प्रयात्:---"प्रोन्नति, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा";
- 5. स्तम्भ 12 मं, विद्यमान प्रविध्दि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविद्धि रखी जगएंगी, ग्रर्थात्:-"ऐसे श्रेणी "घ" कर्मचारियों में से प्रोन्नति जिन्होंने अपने-ग्रपने केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम संगठन में उस श्रेणी में 3 वर्ष नियत सेवा की है";
- स्तम्भ 14 में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, ग्रर्थात्:--

"समूह "घ" विभागीय प्रोन्नति समिति निम्नलिखित से मिलकर वनेगी--

- 1. संबंधित ग्रपर/उप-निदेशक
- ----ग्रध्यक्ष
- 2. भारसाधक चिकित्सा यधिकारी
- ---सदस्य
- किसी केन्द्रीय सरकार के कार्यालय से अधिमानतः स्वास्थ्य सेवा महानिदेणालय याः केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम से भिन्न इसके उप कार्यालयों से श्रेणी "क" अधिकारी—सदस्य
- 4. यदि किसी केन्द्रीय सरकार के कार्यालय से कोई श्रेणी "क" का प्रवासनिक अधिकारी नहीं है तो संबंधित केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम कार्यालय से प्रवासनिक अधिकारी

[सं ए-12018/51/89-सीजीएबएस-1/सी जीएबएस (पी)] बह्य देव, प्रवर सचिव

मुख्य निवम सा.का.नि. सं. 1007 दिनांक 18-10-86 द्वारां प्रकाशित हुए।

(Department of Health)

New Delhi, the 21st April, 1993

G.S.R. 244.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Central

सहायक नियत्रंक (वाणिज्य) भारत सरकार प्रकाशन विभाग

11

i) with 5 years regular service in posts in the scale of Rs. 2200-4000 or equivalent) or (iii) with 8 years regular service in posts in the scale of Rs. 2000-3500 or equivalent; and

(b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column 8.

The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion,. (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not to exceed 3 (three) years. The maximum age limit for appointment by transfer on deputation (including short-term contract)/transfer shall be, not exceeding 56 years, as on the closing date of receipt of applications.)

Commission for approval. If, however, these are not approved by the Commission, a fresh meeting of Departmental Promotion Committee to be presided over by the Chairman or a Member of the Union Public Service Comimission, shall be held.

> [No. A-12013/1/92-UIP/Estt. III] LAL SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 23 अप्रैल, 1993

सा.का.नि. 246---राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलावती सरन बाल अस्पताल, नई दिल्ली में पाइप लाइन श्रापरेटर के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, श्रथीत्:—

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कलावती सरन बाल ग्रस्पताल, नई दिल्ली, समूह "ग" पद भर्ती नियम, 1992 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रबृत्त होंगे।
- 2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :— उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा/होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध श्रनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 में विनिर्दिष्ट हैं।
- 3. भर्ती की पद्धति धायु-सीमा और ग्रन्य ग्रहंताएं भ्रादि:---उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, भ्रायु-सीमा, श्रहंताएं और उनसे संबंधित श्रन्य बातें वे होंगी जो उन्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम 14 में विनिर्दिष्ट हैं। 4. निर्रहता : वह व्यक्ति,,,--

 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या
 - (ख) जिसने श्रपने पित मा श्रपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पाल नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के ग्रन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के ग्रधीन भ्रनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य ग्राधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के अवर्तन से छूट दे सकेगी।

 शिथिल करने की शक्ति:—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, प्रादेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात. ऐसे ब्रारक्षण, ब्रायु-सीमा में छूट और ब्रन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, ऐसे श्रारक्षण जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले. गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और धन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों

सच
2 11

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन ग्रथवा श्रचयन पद	सेवा में जोड़े गये वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन नियम, 1972) के नियम 30 के ग्रधीन ग्रनुज्ञेय है या नहीं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों लिए ग्रायु—सीमा
1	2	3	4	5	6	
पाइप लाइन द्यापरेटर	4* (1992)	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग'' अराजपवित	1200-30- 1560-व.रो 40-2040 ह.	प्रचयन	नहीं	7 18 ते 25 वर्ष के बीच । (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या श्रादेशों के श्रनुसार सरकारी
*कार्यंभार के श्राधार पर प	परिवर्तन किया ज	श्रननुसचिवीय । सकता है।		200 (2) 200 (2)		सेवकों के लिए शिथिल करके 35 वर्ष तक की ज्या सकती। है)।

सहायक नियमंक (वाणिज्य) THE THEFT

टिप्पण: श्राय सीमा श्रवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यशियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी) न कि वह अंतिम तारीख जो ग्रसम, मेघालय, श्ररूणाचल प्रदेश, विजोरम, मणिपुर, नागालैंड, ब्रिपुरा, सिनिकम, जम्म और कश्मीर राज्य के लददाख खंड हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीपसमृह या लक्ष-द्वीप के अभ्याथियों के लिए विहित की गई है) टिप्पण: 2--ऐसे पदों की बाबत जिन पर नियुनित रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली है, आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णाकि तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और यन्य अर्हताएं

व्यक्तियों के लिए बिहित यदि कोई हो। भाय और शैक्षिक अहंताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लाग् होगी या नहीं

सीध भर्ती किए जाने वाले परिवीक्षा की अवधि भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी प्रोन्नति/प्रतिनिय् कित/स्थानांतरण या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियु-क्ति/स्थानांतरणद्वारातथा विभिन्न जिनसे पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता

सीधे भर्ती किए गए (1) 75% सीधी भर्ती द्वारा

न्यनित के लिएदी (2) 25% पदीन्नति द्वारा जिसके

भर्ती द्वारा।

द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां प्रोन्नति/प्रतिनिय विस/ स्थानांतरण किया जाएगा।

8

10

न हो सकने पर प्रति-

12

ग्रावश्यक:

1. किती मान्यताप्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय ग्राय: नहीं से मं दिकुलेशन या उसके समतुल्य ग्रहैता; शैक्षिक ग्रहैताएं : हां

2. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से फिटर या वैल्डर खथवा मशीन मिस्त्रीया इलेक्टानिक्स या विद्युत का व्यवसाय प्रमाणपत्न; और

3. सरकारी संस्थान/विनिर्माता संगठन या विभाग में व्यवसाय में 2 वर्ष का ग्रनभव

टिप्पण 1--- ग्रहंताएं ग्रन्यया सुर्आहत ग्रभ्यथियों की दशा में सक्षम प्राधिकारी के विवकानुसार शिथिल की जा सकती हैं।

टिप्पण 2--- अनुभव संबंधी अर्हता/अर्हताएं, सक्षम प्राधिकारी के विवेकानसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्याधियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है (हैं) जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए ग्रारक्षित रिक्तियों को भरने के लिए ग्रवेक्षित ग्रन्भव रखनेवाले उन समदायों के अभ्यथियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

पदोन्नति:

1. भ्राटोक्लेव सहायक समृह "ग" जिन्होंने 975-1540 रूपये के बैतनमान में 8 वर्ष नियक्ति पर स्थानांतरण, द्वारा की नियमित सेवा की है, या दोनों के नही सकने पर सीधी 2. एसे बढ़ई, पेंटर, सह बेल्डर समूह "ग" जिन्होंने 950-1400 रु. के वेतनमान में 10 वर्ष की नियमित सेवा की है।

सहायक नियत्रंक (वाणिज्य) शारत सरकार, प्रकाशन विभाग यदि विशागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी करने में किन परिस्थितियों में संभ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

11

12

14

प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण:

- (क) केन्द्रीय सरकार के ऐसे ग्रधि- 2. प्रशासनिक ग्रधिकारी--सदस्य
- (i) जो निविमत आधारपरसङ्ग पद धारण किए हुए हों; या
- (ii) जिन्होंने 975-1540 ह. या 8 वर्ष की नियमित सेवा की है;
- (iii) जिन्होंने 950-1400 ए. या समत्रलय बेतनमान बाले पदों पर 10 वर्ष की नियमित सेवा की है और
- (ख) जिनके पास स्तम्भ 8 के प्रधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्य-क्तियों के लिए विहित शैक्षिक ग्रह्ताएं और ग्रन्भव हैं। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियमित से ठीक पहले धारित किसी ग्रन्य कॉडर-बाह्य पद पर प्रतिनियं क्ति की प्रविध भी साधा-रणतया तीन वर्ष से ग्रधिक नहीं होगी)।

- 1. ग्रपर चिकित्सक ग्रधीक्षक ग्रध्यक्ष लागू नहीं होता।
- 3' जयेष्ठ तकनीक़ी ग्रधिकारी--सदस्य
- 4. अनम्बित जाति/अनम्बित जननाति सप -दाय का प्रतिनिधित्व करने वाला सहयो-

जित सदस्य

समत्र्लय बेतनमान वाले पद पर टिप्पण: पुष्टि से संबंधित विभागीय प्रोन्नति समिति की कार्यवाहियां संघ लोक सेवा ग्रायोग गौक्षिक और ग्रन्य के अनुमोदनार्थं भेजी जाएंगी। किंतु,

यदि आयोग उनका अनुमौदन नहीं करता है तो विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक संव लोक सेवा प्रायोग के प्रध्यक्ष या किसी सदस्य की श्रध्यक्षता में फिर से होगी।

[सं. ए.-12018/30/89-मार.मार. (एम ई यू जी डेस्क)]

भारत ग्वण शर्मा, डेस्क ग्रधिकारी

New Delhi, the 23rd April, 1993

G.S.R. 246.-In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the methods of recruitment to the post of Pipe Line Operator in the Kalawati Saran Children's Hospital, New Delhi, namely :--

- 1. Short title and commencement .-- (i) These rules may he called the Kalawati Saran Children's Hospital, New Delhi, Group 'C' posts Recruitment Rules, 1992.
- (2) They shall come into force on the date of their the Schedule annexed to thse rules.
- 2. Number of post, classification and scale of pay.--The number of post, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.
- 3. Method of requirement age limit and other qualification etc.-The method of the recruitment, age limit, qualifications and other matters relaing to the said post shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. Disqualifications—No person;—

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :


Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage, and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule,

- 5. Power to relax.-Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any any class or category of persons.
- 6. Saving.-Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided to candidates belonging to the Schedules Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

37-10-1 सहायक नियत्रंक (वाणिज्य) भारत सरकार प्रकाशक किया

	SCHEDULE							
Name of the post No. o		cation	- Scale of pa	у		Selection post non-selection post.		
1 2	2	3		4		5		
Pipe Line Operator 4* (1992 Subjection of the control of the cont	2) Gro Nor Nor	peral Central Service, and Central Service, and accepted and and accepted and accepted and accepted and accepted and accepted and accepted accepted and accepted acce		Rs. 1200-30-1560-EB-40-2C40		Non Selection		
Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the C.C.S. (Pension) Rules, 1972.	of Age limit	for direct recru	its	Education require	onal and ed for dire	other qualifications ect recruits		
6		7			8			
	Central Go Note: 1 The shall be the from candic prescribed for Pradesh, Mi Sikkim, La Lahaul & S Chamba dis Nicobar Isl: Note: 2 In which are in the crucial of the last date	vernment). c crucial date for closing date for closing date for those in Assazoram, Manipudakh Division of the contract of Himach ands or Laksharespect of poststade through the contract of determine the contract of the con	the appointments e Employment Exchaning the age limit slates Employment Exchange	ge-limit 2. Tracions date Welder nachal or El a, 3. Two ir State in Grin in Case ange, qualification anges Note: 2 experier cretion the case Schedule If, at a petent) that su from the requisite be avail	ersity; le Certification I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	nstitute of Fitter or chinist or Electronics d; terience in the Trade, /Institution/Manufaction or department ions are relaxable at Comptent authority idates otherwise well lification(s) regarding relaxable at the dismptent Authority in lidates belonging to and Scheduled Trbies of selection, the Comis of the opinion amber of candidates unities possessing toe are not likely to ll up the vacancies		
Whether age and education qualifications prescribed for direct ecruits will apply in the case promotees.	i- Period of probation of if any.	tion or by d	cruitment, whether be ment or by promo- eputation/transfer & ages of the vacancies by various methods.	tion/transfer, deputation/	grade from	by promotion/deputa- m which promotion/ be made.		
9 . /	10	11			12			
ge) : No ducational Qualifications : Yes.	Two years for direct recruits,	(ii) 25% by p	lirect recruitment, romotion failing transfer on deputage both by direct t.	regular serv	. 975—15- ice , or	Group 'C' in the 40 with eight years		





12

Transfer on deputation:

Officers of the Central Government:

- (i) holding analogous posts on regular basis; or
 - (ii) with eight years' regular service in post in the scale of Rs. 975-1540 or equivalent; or
 - (iii) with ten years regular service in posts of Rs. 950-1400 or equivalent; and
- (b) Possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column 8.
- (The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other organisation/Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years).

If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.

13

14

Not applicable.

1. Additional Medical Superintendent

-Chairman

Administrative Officer

-Member

Senior Technical Officer

-Member

4. Co-opted member to represent SC/ST community -Member.

[No. A-12018/30/89-RR(ME-UG)] B.B. SHARMA, Desk Officer

कृषि मंत्रालय

(पशु पालन और हेरी विभाग)

नई दिल्ली, 21 अप्रैल, 1993

सा.का.नि. 247:--राष्ट्रपति लिविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ची दुग्ध योजना (वर्ग 3 और वर्ग 4 पद) मर्ती नियम 1963 को जहां तक उनका संबंध अधीक्षण के पद से है उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिकमण से पहले किया गया है या करने का चोप किया गया है कृषि मंत्रालय पशुपालन और डेरी विभाग के अर्धीन दिल्ली दुग्ध योजना में अर्धीक्षक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं प्रथीत :--

- 1. संक्षिष्त नाम और प्रारम्भ : (1) इन नियमों का सिक्षण्त नाम अर्धक्षिक दिल्ली दुग्ध योजना समूह "ग" पद भर्ती नियम 1993 है।
- (2) येराजपत्र में प्रकाशन की शारीख को प्रवृत्त
- पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान : उक्त पद की लंख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा जो उससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिदिव्ट हैं।
- भर्ती की पद्धित, ग्रायु-सीमा, अर्हुताएं ग्रादि : उक्त पद पर भर्त्ती की पद्धित, आयु-सीमा, ग्रह्तंताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिद्दिष्ट हैं।
 - 4. निरहर्ता : वह व्यक्ति--
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पित या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या
 - (ख) जिसने अपने पित या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है उक्त पर पर नियुक्ति का राज नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के फ्रन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के प्रधीन नुक्षेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दें सकेगी।

नियत्रंक (वाणिज्य) भारत सरकार, प्रकाशन विभाग